संख्या-186/2021/433/41-2021-119(बजट)/2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 मार्च 2021**

विषयः- जनपद मथुरा के गोकुल स्थित नन्दभवन सीढियों से रास चबूतरा होते हुये नन्द चौक तक सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशेष स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5650/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(74)/2019 दिनांक 27 जनवरी 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा के गोकुल स्थित नन्दभवन सीढियों से रास चबूतरा होते हुये नन्द चौक तक सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-214/2019/2296/41-2019-119(बजट)/2019 दिनॉक 22 अगस्त, 2019 द्वारा रू0 36.58 लाख +जी0एस0टी0 की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 18.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तदनन्तर महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 के प्रस्ताव क्रम में शासनादेश सं0-185/2020/1792/41-2020-119(बजट)/2019 दिनांक 17-8-2020 द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त रू0-10.**00** लाख अवमुक्त की गई । तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 25-11-2020 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पत्र दिनांक 22-01-2021 द्वारा सिविल कार्य में ठेकेदार द्वारा निविदा दरें स्वीकृत लागत से कम होने और लेबर सेस मद में हो रही बचत के कारण परियोजना की कुल लागत में समानुपातिक रूप कमी आने का तथ्य संसूचित करते हुये परियोजना के कार्य रू0-31.15 लाख (जी0एस0टी0 सहित) में पूर्ण किये जाने की सूचना दी गई , जबकि प्रायोजना के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण में सिविल कार्य पर व्यय धनराशि रू0-26.97 लाख , वास्तुविद शुल्क रू0-0.40 लाख तथा जी0एस0टी0 के रूप में रू0-3.24 लाख की देयता संसूचित की गई है।

3- उक्त के दृष्टिगत प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-27.37 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर देय) निर्गत करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना की कुल लागत रू0-30.606 (जी**0**एस**0**टी**0** सहित) के सापेक्ष 02 किश्तों में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-28.29 लाख को घटाते हुये जी0एस0टी0 मद की अवशेष धनराशि **रू0 2.316 लाख (रूपये दो लाख इकतीस हजार छः सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-214/2019/2296/41-2019-119(बजट)/2019 दिनॉक 22 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश सं0-185/2020/1792/41-2020-119(बजट)/2019 दिनांक 17-8-2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक विशिष्टियों एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(8) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्रापत किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-186/2021/433/41-2021-119(बजट)/2019 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक,आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in